पत्रांक–12/चक0–02–प्रा0–03/2015...976/चक0

(125)

निर्देशित

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक, चकबंदी,सिवान।
चकबंदी पदाधिकारी, बक्सर सदर/चौंद(कैमूर)/भगवानपुर(कैमूर)/करगहर(रोहतास)/परिहार(सीतामढ़ी)/सुपौल/ओबरा(औरंगाबाद)/कॉटी(मुजफफरपुर)।

पटना, दिनांक 30/11/2018

विषय :– **चकबंदी निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्त्तमान में सभी सेवानिवृत्त प्रारूपकों का संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान राशि का वसूली के संबंध में।**

प्रसंग :– चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 755/चक0 दिनांक 17.07.2012, स्मार पत्र सं0– 986/चक0 दिनांक 04.09.2013, 54/चक0 दिनांक 11.01.2016, 358/चक0 दिनांक 02.06.2017 एवं 148/चक0 दिनांक 12.02.2018

महाषय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का निदेष किया जाय। चकबंदी निदेषालय के अधीन कार्यरत प्रारूपकों को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतनमान स्वीकृत करने के बिन्दु पर परामर्ष प्राप्त किया गया है। प्राप्त परामर्षानुसार चकबंदी निदेषालय में कार्यरत प्रारूपक को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से 4000–100–6000 रूप्ये स्वीकृत किया गया है। उक्त परामर्ष से सभी कार्यालयों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है। फिर भी निदेषालय से निर्गत अनुदेषों का अवहेलना कर क्षेत्रीय चकबंदी कार्यालयों द्वारा किसी प्रारूपकों को 01.01.1996 से मूल वेतनमान 4500–125–7000 एवं 5000–150–8000 रूप्ये के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त कर लिया है जो कि अनदेखी कर अधिक भुगतान का मामला बनता है। जो वित्तीय अनियमिता का द्योतक है। निदेषालय स्तर पर समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित प्रारूपकों को दिनांक 01.01.1996 से मूल वेतनमान 4500–7000 एवं 5000–150–8000 में वेतन निर्धारण कराकर उसके अगले प्रक्रम के वेतनमान में ए0सी0पी0 प्राप्त कर लिये है। जो वित्तीय अनियमितता का मामला बन रहा है।

क्र0	सेवानिवृत्त प्रारूपक का नाम	सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम
1	2	3
1	श्री अभय कुमार षर्मा, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, बक्सर सदर (बक्सर)
2.	श्री अरिमर्दन सिंह, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, चॉंद (कैमूर)
3.	श्री वाजिद अली अंसारी, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, करगहर (रोहतास)
4.	श्री महेश ठाकुर, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, सुपौल (सहरसा)

124

6.	श्री मो0 इरफान, सेवानिवृत प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, कांटी (मुजफफरपुर)
7.	श्री मो0 गयासुद्दीन अंसारी, सेवानिवृत प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, भगवानपुर (कैमूर)
8.	श्री मो0 जाकिर हुसैन, सेवानिवृत प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, परिहार (सीतामढ़ी)
9.	श्री यादगार हुसैन, सेवानिवृत प्रारूपक	उप निदेशालय,चकबंदी, सिवान
10.	श्री लखन मांझी, सेवानिवृत प्रारूपक	उप निदेशालय, चकबंदी, सिवान
11.	श्री नित्यानन्द मिश्र, सेवानिवृत प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, ओबरा (औरंगाबाद)

इसके अतिरिक्त जिन प्रारूपकों द्वारा अधिक भुगतान प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो चुके है। यथाशीघ्र अपने स्तर से वसूली करने की कार्रवाई की जाय।

इन प्रारूपकों को पूर्व के दिशा–निर्देशों का अवहेलना कर अधिक भुगतान प्राप्त कर सेवानिवृत्ति लाभ भी प्राप्त कर चुके है। इस साजिश में स्पष्टतः कार्यालय प्रधान सहायक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर शामिल होने का मामला बन रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले में यथाशीघ्र अधिक भुगतान का सामंजन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा तृतीय एम0ए0सी0पी0 के लिए संशोधित रूप से प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। इन मामले में शिथिलता बरतने पर सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। क्योंकि पूर्व में ही वित्त विभाग के परामर्श के अवगत करा दिया गया है। तथा बार–बार स्मारों के बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

28/11/18

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

o/c